



भारतीय
प्रौद्योगिकी
संस्थान
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय



INDIAN
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
BANARAS HINDU UNIVERSITY

☎ : दूरभाष (0542) 6702068, 2307004 (सं.कु); 6702076, 2307005 (कार्यालय); फ़ैक्स : 91-542-2368428; ई.मेल: administration@itbhu.ac.in

कुलसचिव कार्यालय
(प्रशासन)

Office of the Registrar
(Administration)

पत्र संख्या. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)/रा.भा.प्र./7(9)/नियम 10(4)/179

दिनांक: 18.05.2017

आवश्यक

- | | |
|---|--|
| 1. समस्त अधिष्ठातागण | 10. मुख्य सलाहकार (councillor), जिमखाना |
| 2. समस्त विभागाध्यक्ष/स्कूलों के समन्वयक | 11. उप मुख्य आरक्षाधिकारी |
| 3. प्रभारी इकाई/केन्द्र/कार्यालय | 12. समन्वयक, गांधी प्रौद्योगिकी स्नातक केन्द्र |
| 4. समस्त आचार्य प्रभारी | 13. समस्त प्रशासनिक संरक्षक |
| 5. अध्यक्ष, संस्थान निर्माण समिति | 14. समस्त संयुक्त कुलसचिव |
| 6. अध्यक्ष, कैफ़ेटेरिया | 15. उप कुलसचिव |
| 7. अध्यक्ष, संरक्षक परिषद | 16. समस्त सहायक कुलसचिव |
| 8. अध्यक्ष, सीनेट लाइब्रेरी समिति | 17. समस्त अनुभाग अधिकारी |
| 9. अध्यक्ष, वेब मैनेजमेंट एंड ईमेल सर्विसेज समिति | |

विषय : अध्यापकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान से संबंधित सूचना एकत्र करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि संस्थान को राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कराने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्य हेतु हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों से संबंधित विवरण की आवश्यकता है।

अतः निदेशक महोदय के आदेशानुसार, मुझे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि आप अपने विभाग/स्कूल/अनुभाग/इकाई के समस्त शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मिकों (अध्यापकों/अधिकारियों/कर्मचारियों) से संबंधित विवरण इस पत्र के साथ संलग्न "हिंदी ज्ञान से संबंधित सूचना पत्रक" में भरवाकर एवं पूर्ण रूप से भरी प्रतिहस्ताक्षरित सूचना पत्रक को दिनांक: 24.05.2017 तक या इससे पूर्व राजभाषा प्रकोष्ठ, सामान्य प्रशासन, कुलसचिव कार्यालय को प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

सधन्यवाद,

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

जिज्ञा

18/05/17

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)–प्रथम

पत्र संख्या. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)/रा.भा.प्र./7(9)/नियम 10(4)/

दिनांक: 18.05.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक के निजी सचिव
2. कुलसचिव के वैयक्तिक सहायक

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)–प्रथम

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (का.हि.वि.) के अध्यापकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के
हिन्दी ज्ञान से संबन्धित सूचना पत्रक

क्र.सं.	अपेक्षित सूचना		विवरण
1.	अध्यापक/अधिकारी/कर्मचारी का नाम	हिन्दी में अंग्रेजी में	
2.	कर्मचारी संख्या		
3.	पदनाम		
4.	विभाग/स्कूल/अनुभाग/इकाई का नाम जहां कार्यरत हैं		
5.	जन्मतिथि		
6.	मातृभाषा		
7.	हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण उच्चतम परीक्षा		
8.	हिन्दी को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण उच्चतम परीक्षा		
9.	क्या आपने मैट्रिक परीक्षा या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की है? यदि हाँ, तो उस परीक्षा का नामोल्लेख करें।		
10.	क्या आपने भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत कोई हिन्दी परीक्षा (प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ) या हिन्दी प्रचारक/अन्य संस्थान द्वारा संचालित हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण की है? यदि हाँ, तो उस परीक्षा का नामोल्लेख करें।		
11.	क्या आपने हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया है? (हाँ/नहीं)		
12.	क्या आपने कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है? (हाँ/नहीं)		
13.	क्या आप घोषित करना चाहते हैं कि आपको हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कृपया नीचे दिये गए प्रारूप में घोषित करें।		
प्रारूप			
[राजभाषा नियम, 1976(यथा संशोधित, 1987)के # नियम 9 और 10 के अंतर्गत]			
मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है/मैंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।			
अधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर			
# नियम 9 और 10 पश्च पृष्ठ पर अंकित। * जो लागू न हो कृपया उसे काट दीजिए।			

दिनांक:

हस्ताक्षर

9. हिन्दी में प्रवीणता

यदि किसी कर्मचारी ने-

- (क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या
(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या
(ग) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान

(1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने-

- (i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या
(ii) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या
(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(ख) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(3) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

(4) केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

विशेष टिप्पणी – यदि अध्यापकों/अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूर्व-पृष्ठ पर दिए गए प्रारूप में यह घोषित किया जाता है कि उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है/ वे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं तो उनको हिन्दी के किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है।